प्रेस विज्ञप्ति
21.09.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई आंचलिक कार्यालय-II ने मेसर्स पीजीसी कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं अन्य से संबंधित बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन संबंधी जांच के क्रम में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत दिनांक 18.09.2026 को तिरुप्पुर और चेन्नई में स्थित 6 आवासीय एवं कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने सीबीआई, आर्थिक अपराध शाखा, चेन्नई द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। उक्त एफआईआर मेसर्स पीजीसी कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा इसके निदेशकों डी. प्रेम, आदिथ डी. विक्रम, के. कलीश्वरन तथा अज्ञात लोक सेवकों एवं निजी व्यक्तियों द्वारा इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) को लगभग 116.79 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी किए जाने के संबंध में दर्ज की गई थी।

ईडी की जांच से पता चला कि मेसर्स पीजीसी कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आईओबी से ऋण सुविधा प्राप्त की थी तथा बैंक द्वारा उक्त खाते को वर्ष 2013 में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) और वर्ष 2020 में धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया गया। जांच में आगे पता चला कि आरोपियों ने वित्त वर्ष 2011–12 के लिए आईओबी के समक्ष जाली एवं हेरफेर किए गए वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए, ताकि धोखाधड़ीपूर्वक बढ़ी हुई ऋण सुविधाएं प्राप्त की जा सकें तथा ऋण की धनराशि को व्यक्तिगत खातों, विदेशी संस्थाओं में डायवर्ट करके और धनराशि की राउंड-ट्रिपिंग के माध्यम से उसका दुरुपयोग किया गया।

जांच में पता चला कि डी. प्रेम और आदिथ डी. विक्रम ने देशी एवं विदेशी, दोनों प्रकार की कंपनियों और फर्मों का एक नेटवर्क बनाया, जिसमें उन्होंने ऋण की धनराशि को निवेश के रूप में डायवर्ट किया। जांच में आगे पता चला कि निवेश के नाम पर विदेश भेजी गई पर्याप्त ऋण राशि को बाद में राउंड-ट्रिपिंग के माध्यम से वापस लाया गया और भारत में स्थानीय व्यावसायिक खर्चों के लिए उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त, बैंक द्वारा ऋण की वसूली की कार्रवाई शुरू किए जाने के बाद मेसर्स पीजीसी कॉरपोरेशन लिमिटेड की 235 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की इन्वेंटरी को संबंधित संस्थाओं को वास्तविक बिक्री राशि प्राप्त किए बिना बेच दिया गया। तत्पश्चात, इन संबंधित संस्थाओं को ऋणदाताओं की स्वीकृति के बिना बंद करने की अनुमति दी गई।



तलाशी कार्रवाई के दौरान यह पाया गया कि डी. प्रेम और आदिथ डी. विक्रम विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे तथा संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां उनके जीवनसाथियों और रिश्तेदारों के नाम पर थीं। यह भी पाया गया कि उन्होंने अपने जीवनसाथियों और कर्मचारियों के नाम पर नए व्यवसाय स्थापित किए थे, किंतु अंततः इन व्यवसायों के मामलों का प्रबंधन एवं नियंत्रण उन्हीं द्वारा किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, तलाशी कार्रवाई के दौरान लगभग 82 लाख रुपये की अस्पष्टीकृत नकदी, दो लग्जरी वाहन, लैपटॉप, पेन ड्राइव और मोबाइल फोन जैसे डिजिटल उपकरण, संपत्ति संबंधी दस्तावेज तथा आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद कर जब्त किए गए।

आगे की जांच जारी है।




TN 42 AQ 3333